



2026:AHC-LKO:21214

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2476 सन 2026

प्रमोद कुमार

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ
एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	सुशील कुमार यादव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. श्री दुष्यंत सिंह, अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री दुष्यंत सिंह को और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह वर्तमान आवेदन एस.टी. संख्या 339 / 2020 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रमोद कुमार) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 323, 504, 376 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0358 / 2019 से संबंधित है, पुलिस स्टेशन- गौरीगंज, जिला- अमेठी, जो विद्वान एफ.टी.सी. प्रथम जिला- सुल्तानपुर के समक्ष लंबित है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के चलते आवेदक के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया। समझौता पत्र 16.03.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब दोनों पक्षों के बीच कोई शिकायत नहीं है और आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही निरर्थक है क्योंकि इसमें मुकदमे का कोई भविष्य नहीं है और यह आवेदक का उत्पीड़न है, इसलिए आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष का समर्थन करते हुए निवेदन किया है कि पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता पत्र के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध प्रतिवादियों की कोई और शिकायत नहीं है और आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त निवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब, क्या पक्षों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, इसका पता निचली अदालत द्वारा ही लगाया जा सकता है क्योंकि ऐसे समझौते को न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षों की उपस्थिति में विधिवत सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार, इस आवेदन का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय, यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करे और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करे, और उसके बाद, समझौते का सत्यापन करे। यदि उपरोक्त समझौते का सत्यापन हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और समझौते को अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. ऐसी स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा, और आवेदकों को कार्यवाही रद्द करने के लिए इस न्यायालय में पुनः आने का विकल्प खुला रहेगा।
10. भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 323, 504, 376 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0358 / 2019 से संबंधित एस.टी. संख्या 339 / 2020 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रमोद कुमार) के अनुसरण में शुरू की गई कार्यवाही, पुलिस स्टेशन- गौरीगंज, जिला- अमेठी, जो विद्वान एफ.टी.सी. प्रथम जिला- सुल्तानपुर के समक्ष लंबित है, आवेदक के संबंध में तीन महीने की अवधि के लिए, स्थगित रहेगी।
11. विचारण न्यायालय को यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या सभी पक्षकार, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में शामिल पक्षकार, उपस्थित थे या नहीं। इस संबंध में, न्यायालय सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल समझौता पत्र, यदि कोई हो, की छायाप्रति लेने के बाद उसे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को लौटा दे।

[न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह]

मार्च 24, 2026

वी.सिन्हा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।